राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 40/2024

अपीलांटः– **बनाम** **रेस्पोडेंटः –**

1. श्री लक्ष्मणराम पुत्र जेताराम जाति प्रजापत, निवासी हीरा की ढाणी, गिड़ा, जिला बालोतरा।

1 उपखण्ड अधिकारी, बायतु

आदेश

दिनांक 31.12.2024

अपीलार्थी श्री लक्ष्मणराम पुत्र जेताराम जाति प्रजापत, निवासी हीरा की ढाणी, गिड़ा, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी, बायतु के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 05.12.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बायतु को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलांट द्वारा वांछित सूचना बहुतायत, अस्पष्ट, विशिष्टिविहिन एवं प्रश्नात्मक सूचना है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) के अनुसार प्रश्नात्मक सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी, बायतु के पत्रांक/सूचना का अधिकार/2024/1673 दिनांक 30.10.2024 को जरिये डाक भिजवाई गई है। साथ ही कथन कि किया अपीलार्थी द्वारा बार बार इस कार्यालय में अनावश्यक आवेदन प्रस्तुत किये जाते है, जिससे कार्यालय में कार्य बाधा उत्पन होती है, जिसके फलस्वरूप आवश्यक कार्यों को संपादित करने में विलम्ब होता है। आपीलार्थी को भविष्य में इस कार्यालय में नियम के विरूद्ध सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करने हेतु निषेध करावे। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निस्तारित की जाये।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना बहुतायत, अस्पष्ट, विशिष्टिविहिन एवं प्रश्नात्मक सूचना है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की

जिला कलक्टर
बालोतरा

धारा 2(एफ) के अनुसार प्रश्नात्मक सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है। साथ ही इसकी सूचना अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, बायतु के पत्रांक/सूचना का अधिकार/2024/1673 दिनांक 30.10.2024 को जरिये डाक भिजवाई गई है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 31.12.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

ख

(सुशील कुमार)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बालोतरा